

झारखण्ड सरकार

पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

फोन- 0651-2400981, फॅक्स- 0651-2400982, ई-मेल-govjharkhandtourism@gmail.com, वेबसाईट : www.tourism.jharkhand.gov.in

सेवा में,

निदेशक,

पर्यटन निदेशालय, झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक22.../.....06.../2026

विषय: वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य योजना बजट मुख्यशीर्ष -3452- पर्यटन, अन्तर्गत प्रशिक्षण, कौशल विकास तथा एक्सपोजर यात्रा आदि हेतु कुल ₹ 1,00,00,000.00 (एक करोड़ रू०) मात्र के आवंटन के संबंध में।

प्रसंग : विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या - 09, दिनांक 30.04.2026 एवं निदेशक, पर्यटन निदेशालय, झारखण्ड का पत्रांक 466, दिनांक 18.06.2026

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक स्वीकृत्यादेश एवं पत्र के आलोक में प्रशिक्षण, कौशल विकास तथा एक्सपोजर यात्रा आदि हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 में निम्न बजट शीर्षवार आवंटन दी जा रही है -

क्र०	बजट शीर्ष	विपत्र कोड	आवंटित राशि
I	मुख्यशीर्ष -3452- पर्यटन, उप मुख्य शीर्ष -01- पर्यटक अवसंरचना, लघुशीर्ष -101- पर्यटक केन्द्र, उपशीर्ष -19- प्रशिक्षण, कौशल विकास तथा एक्सपोजर यात्रा आदि, विस्तृत शीर्ष -03- प्रशासनिक व्यय, 35-प्रशिक्षण व्यय	46-S-3452-01-101-19-00-03-35	₹ 50,00,000.00
II	मुख्यशीर्ष -3452- पर्यटन, उप मुख्य शीर्ष -01- पर्यटक अवसंरचना, लघुशीर्ष -796- जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, उपशीर्ष -19- प्रशिक्षण, कौशल विकास तथा एक्सपोजर यात्रा आदि, विस्तृत शीर्ष -03- प्रशासनिक व्यय, 35-प्रशिक्षण व्यय	46-S-3452-01-796-19-00-03-35	₹ 50,00,000.00
कुल -			₹ 1,00,00,000.00

2. आवंटित राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची से की जायेगी।
3. इस राशि का उपयोग पर्यटन अन्तर्गत प्रशिक्षण, कौशल विकास तथा एक्सपोजर यात्रा आदि में किया जायेगा।
4. यदि प्रश्नगत कार्य पर किसी अन्य मद से राशि स्वीकृत/व्यय की गयी है या की जा रही है, तो इस राशि का व्यय नहीं किया जायेगा।
5. संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अंकेंक्षण हेतु अभिलेख सुरक्षित रखेंगे।
6. संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी विषयांकित योजना का विहित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार (ले० एवं हक०), झारखण्ड को प्रेषित करते हुए इसकी एक प्रति विभाग को अनिवार्य रूप से ससमय भेजना सुनिश्चित करेंगे।

7. आवंटित राशि से किये गये कार्य के विरुद्ध व्यय किया जायेगा तथा बगैर विभाग के पूर्व अनुमोदन से अग्रिम राशि की निकासी नहीं की जायेगी।

8. योजना के कार्यान्वयन के क्रम में राशि का व्यय वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 2561/वि०, दिनांक 17.04.1998, वित्त विभाग से समय-समय पर निर्गत सुसंगत परिपत्रों, वित्त नियमावली, झारखण्ड कोषागार संहिता तथा झारखण्ड लोक निर्माण संहिता का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

9. राशि का व्यय नहीं होने की स्थिति में राशि के प्रत्यार्पण की सूचना 25 मार्च, 2027 तक विभागीय बजट शाखा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

(मुकेश कुमार)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक : पर्य०/यो० - 11/2011 -11...../राँची, दिनांक.....22.06.2026...../

प्रतिलिपि - महालेखाकर (ले० एवं हक०), झारखण्ड/कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा, राँची/विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार/सचिव, पर्यटन, कला-संस्कृति, खेलकूद एवं युवाकार्य विभाग झारखण्ड, राँची के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव

Q



आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

Tourism, Art Culture, Sports and Youth Affairs Department (Tourism Division)

चार वित्तीय वर्ष 2026-27 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

।

पत्र संख्या - PAR/YO-11/2011/11

दिनांक - 22-Jun-2026

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 46 34520110119000335 3452 - पर्यटन 01 - पर्यटक अवसंरचना 101 - पर्यटक केन्द्र 19 - प्रशिक्षण, कौशल विकास तथा एक्सपोजर यात्रा आदि 00-NA 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme	34504	DRNTSM001 GAUTAM MISHRA SECTION OFFICER TOURISM DIRECT 35 - प्रशिक्षण व्यय	5,000,000.00 रुपये पचास लाख
State Scheme : TRAINING, SKILL DEVELOPMENT & EXPOSURE VISIT ETC.(1885) Central Scheme : NA				
2	S 46 34520179619000335 3452 - पर्यटन 01 - पर्यटक अवसंरचना 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 19 - प्रशिक्षण, कौशल विकास तथा एक्सपोजर यात्रा आदि 00-NA 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme	34503	DRNTSM001 GAUTAM MISHRA SECTION OFFICER TOURISM DIRECT 35 - प्रशिक्षण व्यय	5,000,000.00 रुपये पचास लाख
State Scheme : TRAINING, SKILL DEVELOPMENT & EXPOSURE VISIT ETC.(1885) Central Scheme : NA				

योग: रुपये एक करोड

10,000,000.00

क्रमिक योग:

(MUKESH KUMAR)
SECRETARY